न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बजरंग लाल स्वामी , आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या :– 08/2025
जीसीएमएस संख्या :– 2025/45

1. रामावतार पुत्र श्री बोदू
2. शंकर लाल पुत्र श्री बोदू
3. फूली देवी पत्नी श्री बोदू
4. पुष्पा देवी पुत्री श्री बोदू
5. राजू देवी पुत्री श्री बोदू
6. किरण देवी पुत्री बोदू

समस्त निवासीयान कालवाड, तहसील आमेर, जिला जयपुर, राज0।

...........प्रार्थीगण

–बनाम–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

..........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 अन्तर्गत
भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय **दिनांक :–** 24.04.2025

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय का पेश किया है कि आराजी भूमि पुराने खसरा नम्बर 235 नये खसरा नम्बर 960, 961, 962, 963, 964, 965, 959 कुल किता 07 कुल रकबा 1.8100 हैक्टे0 वाके ग्राम कालवाड, पटवार हल्का कांटा, भू0अ0नि0क्षे0 बिलौंची, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित है। उक्त आराजी भूमि के प्रार्थीगण ही एकमात्र रिकार्डेड खातेदार काश्तकार रहे है। उपरोक्त आराजी भूमि का नियमन दिनांक 31.05.1972 को श्रीमान एस.डी.एम. साहब, आमेर द्वारा रामनाथ पुत्र लखमा हिस्सा 1/3, बीज्या पुत्र लखमा हिस्सा 1/3, श्योजी पुत्र देववक्ष हिस्सा 1/3 के नाम नियमन किया गया, तदोपरान्त से ही रामनाथ, बीज्या व श्योजी का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करते हुये गैर खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 68, दिनांक 25.09.1972 को खोला गया, जिसका अंकन राजस्व जमाबंदी सम्वत 2038 से सम्वत 2041 तक में किया हुआ है। श्रीमान तहसीलदार, आमेर द्वारा नामान्तकरण संख्या 221, दिनांक 12.01.1983

Bsw–
उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला- जयपुर

में रामनाथ पुत्र लखमा, बिज्या पुत्र लखमा की विरासत का नामान्तकरण बोदू पुत्र बिज्या के नाम से 10/–रूपये की पैनल्टी लगा कर, नामान्तकरण खोला गया, उसके बाद खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 255, दिनांक 17.06.1986 खोला गया। उक्त नामान्तकरण में रामनाथ पुत्र लखमा का हिस्सा 1/3, बिज्या पुत्र लखमा का हिस्सा 1/3 एवं श्योजी पुत्र देवबक्ष हिस्सा 1/3 खोला गया, जिसका जमाबंदी सम्वत 2038 से 2041 में अंकन किया गया। तदोपरान्त सम्वत 2038 से सम्वत 2039 की चौसाला जमाबंदी में नामान्तकरण संख्या 255, दिनांक 20.06.1986 को गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तकरण राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया। चौसाला जमाबंदी सम्वत 2036 से सम्वत 2039 की सम्वत 2053 तक प्रभावी रही है। नियमन शुदा भूमि राजस्व रिकार्ड में 12 वर्ष से अधिक समय खातेदार के नाम खातेदारी भूमि का अंकन रहा है, परन्तु एकीकरण के समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से खातेदारी भूमि के स्थान पर खातेदारी से गैर खातेदारी भूमि का अंकन कर दिया। सम्वत 2038 से सम्वत 2041 की जमाबंदी में खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड रही है। इसलिए न्यायहित में उक्त आराजी भूमि के राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी से खातेदारी का अंकन किया जाना आवश्यक व प्रार्थनीय है। धारा 136 भू0 राजस्व अधिनियम, 1956 के संबंध में न्यायिक दृष्टान्त पुसा राम बनाम रेवेन्यू बोर्ड व अन्य, आर आर डी 1997, बोगड सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य, आर आर डी जून 2002, डी बी सिविल रिट पिटीशन नंबर 1907 ऑफ 1986 ख्याली बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में भी उक्त तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है तथा यह न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण में चस्पा होता है। उक्त नियमन शुदा भूमि प्रारम्भ से ही खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड रही है तथा उक्त भूमि पर नियमन की दिनांक से ही काबिज काश्त होकर अपना जीविकापार्जन करती आ रही है। अभी हाल ही में दिनांक 20.01.2025 को प्रार्थी संख्या 1 रामावतार पुत्र बोदू अपने किसी काम से तहसील कार्यालय, आमेर, जिला जयपुर में गया हुआ था, जिस पर हल्का पटवारी से जानकारी हुई कि प्रार्थीगण की जमीन खातेदारी से गैर खातेदारी में अंकन चली आ रही है जिस पर प्रार्थीगण ने दिनांक 27.01.2025 को राजस्व रिकार्ड से जमाबंदी प्राप्त की तो प्रार्थीगण को सर्वप्रथम जानकारी हुई की उसे नियमन शुदा खातेदारी भूमि को गैर खातेदारी में अंकन कर दिया है। उक्त आशय की जानकारी होते ही बिना किसी विलम्ब के माननीय न्यायालय के समक्ष राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण हाजा में अप्रार्थी भूमि का लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार मुकदमा बनाया गया है।

Bew

उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला- जयपुर

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी भूमि पुराने खसरा नंबर 235 नये खसरा नंबर 960, 961, 962, 963, 964, 965, 959 कुल किता 07 कुल रकबा 1.8100 हैक्टेयर, वाके ग्राम कालवाड, पटवार हल्का कांटा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिलौची, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित है, के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त फरमाते हुये राजस्व रिकार्ड में रामनाथ पुत्र लखमा एवं बिज्या पुत्र लखमा की विरासत का अंकन बोदू पुत्र बिज्या के नाम से अंकन फरमाते हुये तदनुसार खातेदारी का अंकन किए जाने की कृपा करें। अन्य अनुतोष जो माननीय न्यायालय प्रार्थीगण के पक्ष में उचित समझे पारित करने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तामिल की गई। प्रस्तुत ट्रेक रिपोर्ट अनुसार तामिल पूर्ण पायी गई। तहसीलदार, तहसील आमेर के पत्रांक भू.अ./779 दिनांक 03.03.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसका सार इस प्रकार है:– ग्राम कालवाड, पटवार हल्का कांट की हाल जमाबंदी संवत 2076–79 के अनुसार ख0न0 960, 961, 962, 963, 964, 965 किता 6 रकबा 1.52 है0 गोपी पुत्र श्योजी हि. 1/5, बीजा पुत्र लखमा हि. 1/5, बोदू पुत्र बीज्या हि. 1/5, भूरा पुत्र श्योजी हि. 1/5, रामेश्वर पुत्र श्योजी हि. 1/5 जाति गुर्जर सा0देह गैर खातेदार व ख0न0 959 रकबा 0.29 है0 गोपी पुत्र श्योजी हि0 1/5, बीजा पुत्र लखमा हि0 1/5, भूरा पुत्र श्योजी हि0 1/5, रामनाथ पुत्र लखमा हि0 1/5, रामेश्वर पुत्र श्योजी हि0 1/5 सा0देह गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। अतः ख0न0 संलग्न मिलान क्षेत्रफल प्रमाणित प्रति अनुसार गत खसरा नम्बर 235 व 235/2 से बने है। नामा0 संख्या 68 द्वारा सिवायचक लगानी ख0न0 235 भूमि रामनाथ पुत्र लखमा, बीज्या पुत्र लखमा व श्योजी पुत्र देवबक्स जाति गुर्जर को गैर खातेदारी दी गई तथा नामा0 संख्या 221 स्वीकृत दिनांक 12.01.1988 द्वारा रामनाथ पुत्र लखमा, बिज्या पुत्र लखमा के फौत होने से उक्त दोनो के हिस्सो का नामा0 बोदू पुत्र बिज्या के पक्ष में स्वीकार किया गया। इसके पश्चात नामा0 संख्या 255 स्वीकृत दिनांक 20.06.1986 द्वारा ख0न0 235, 235/2 की गैर खातेदारी से खातेदारी बोदू पुत्र बीज्या हि0 2/3, श्योजी पुत्र भूरा हि0 1/3 के पक्ष में दी गई। दौराने सेटलमेंट ख0न0 960 वगे0 किता 6 रकबा 1.52 हैक्टे0 पर बोदू पुत्र बीज्या व श्योजी पुत्र देवबक्स राहिन एसबीबीजे शाखा आमेर मूर्तहीन बीजा पुत्र लखमा जाति गुर्जर सा0देह खातेदार व खसरा नम्बर 959 रकबा 0.29 हैक्टे0 पर श्योजी पुत्र देवबक्स राहिन एसबीबीजे शाखा आमेर मूर्तहीन, बीजा पुत्र लखमा व रामनाथ पुत्र लखमा सा0देह गैर खातेदार पुनः सहवन से दर्ज हो गया। उक्त के पश्चात तैयार की गई जमाबंदियो में नामा संख्या 35, 36 द्वारा उपरोक्त

उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला- जयपुर

हाल खसरा नम्बरो को रहनयुक्त तथा नामा0 संख्या 30 व 38 द्वारा उक्त गैर खातेदारी भूमि पर श्योजी पुत्र देवबक्स की विरासत व हकत्याग का नामा0 स्वीकार हुआ जो पश्चातवर्ती जमाबंदियों में बदस्तूर चला आ रहा है। मौके पर प्रस्तावित खसरा नम्बर पर खातेदारो के वारिसानों का कब्जा है। अतः नामा0 संख्या 255 को आधार मानते हुए सेग्रीगेशन के दौरान हुई हिस्सा त्रुटि को शुद्ध करते हुए ख0न0 959 पर गोपी, रामेश्वर, भूरा पिता श्योजी हि0 1/3, बीजा पुत्र लखमा हि0 1/3, रामनाथ पुत्र लखमा हि0 1/3 तथा ख0न0 960 वगै0 किता 6 रकबा 1.52 पर गोपी, भूरा, रामेश्वर पिता श्योजी हि0 1/3, बीजा पुत्र लखमा हि0 1/3, बोदू पुत्र बिज्या हि0 1/3 किया जाना उचित होगा।

—:: आदेश ::—

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, उभयपक्ष की बहस का मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार आमेर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्याय हित में स्वीकार किया जाकर नामा0 संख्या 255 को आधार मानते हुए सेग्रीगेशन के दौरान हुई हिस्सा त्रुटि को शुद्ध करते हुए ख0न0 959 पर गोपी, रामेश्वर, भूरा पिता श्योजी हि0 1/3, बीजा पुत्र लखमा हि0 1/3, रामनाथ पुत्र लखमा हि0 1/3 सा0 देह खातेदार तथा ख0न0 960 वगै0 किता 6 रकबा 1.52 पर गोपी, भूरा, रामेश्वर पिता श्योजी हि0 1/3, बीजा पुत्र लखमा हि0 1/3, बोदू पुत्र बिज्या हि0 1/3 सा0 देह खातेदार दुरूस्त किया जाता है।

आज दिनांक 24.04.2025 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(बजरंग लाल)
उपखण्ड अधिकारी
आमेर जिला जयपुर